

राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया)

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2016 है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 80,93,313/-रु. का प्राधिकृत किया जाना.-अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत्त, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र **80,93,313/-रु.** (अस्सी लाख तिरानवे हजार तीन सौ तेरह रुपये) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

**अनुसूची
(देखिए धारा 2)**

(रुपयों में)

अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं हैं					
सेवार्येँ और प्रयोजन	दत्तमत		प्रभृत		योग
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	
1					2
समेकित निधि					
अनुदानों के लिये मांगें					
मांग संख्या-41					
(सामुदायिक विकास)					
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,	..	80,70,191	80,70,191
योग	..	80,70,191	80,70,191

मांग संख्या-16

(पुलिस)

2055-पुलिस

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं

	23,122	..	23,122
योग	23,122	..	23,122
योग-समेकित निधि		80,70,191	23,122		80,93,313

उपर्युक्त विधेयक राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत उपरोक्त विधेयक धन विधेयक है ।

दिनांक.....

अध्यक्ष ।

दिनांक.....

राज्यपाल,
राजस्थान राज्य ।

राजस्थान विधान सभा

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया)

पृथ्वी राज,
सचिव।